

## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़,  
आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 08/2022

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ।

—बनाम—

सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, निवासी भडौन्दा कलां, पुलिस थाना बगड़, जिला  
झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2 खण्ड (ख)(5)

राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) —————सरकार की ओर से।
2. श्री बिरजुसिंह शेखावत (अधिवक्ता)—————गैर सायल की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 30.05.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 18.04.2022 को गैर सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, निवासी भडौन्दा कलां, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, निवासी भडौन्दा कलां, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का व्यक्ति है। जिसने अपनी आपराधिक गतिविधियों से भडौन्दा कलां व आस-पास के लोगों को भयभीत व आतंकित कर रखा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, जो अवैध शराब बेचने का आदतन अपराधी है। इसके कारण युवा पीढ़ी में नशे की लत होने का भय है। इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरित असर पड़ रहा है। गैर सायल वर्तमान में अवैध शराब से संबंधित अपराध करने में लिप्त है। इसके खिलाफ अब तक 03 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें से तीनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एवं दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. अभियोग संख्या 234/2016 दिनांक 06.12.2016 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधि0 थाना बगड़, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 180 दिनांक 17.12.2016 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.05.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 500 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
झुंझुनू



2. अभियोग संख्या 111/2015 दिनांक 08.07.2015 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधि0 थाना बगड़, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 88 दिनांक 29.07.2015 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 01.08.2015 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 500 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

3. अभियोग संख्या 175/2014 दिनांक 20.09.2014 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधि0 थाना बगड़, झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 127 दिनांक 29.09.2014 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झुंझुनू द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.01.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 5000 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, निवासी भडौन्दा कलां, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, निवासी भडौन्दा कलां, पुलिस थाना बगड़, को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 24.05.2022 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे गैर सायल द्वारा अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया जाने पर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर सायल सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, निवासी भडौन्दा कलां, पुलिस थाना बगड़, झुंझुनू में 3 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा तीनों ही प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है। इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 3 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले की सीमा से अधिकतम समय के लिए निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, निवासी भडौन्दा कलां, पुलिस थाना बगड़, जिला झुंझुनू के खिलाफ पुलिस थाना बगड़, झुंझुनू में 3 अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं तथा तीनों ही प्रकरणों में गैर सायल जुर्माने से दण्डित हुआ है। गैर सायल सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नहीं है तथा राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
झुंझुनू

गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है। किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (ii) में अंकित विश्वास के कारणों, के कारण गैरसायल सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, निवासी भडौन्दा कलां, पुलिस थाना बगड़, जिला झुन्झुनू को झुन्झुनू जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः गैरसायल सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, निवासी भडौन्दा कलां, पुलिस थाना बगड़, जिला झुन्झुनू को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (ii) के तहत 30 दिवस की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से बाहर पुलिस थाना कोतवाली, जिला चुरू निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा गैर सायल सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत, निवासी भडौन्दा कलां, पुलिस थाना बगड़, झुन्झुनू उक्त 30 दिवस की निष्कासित अवधि में जहाँ भी निवास करे, थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, जिला चुरू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना बगड़ को देंगे तथा थानाधिकारी पुलिस थाना बगड़ झुन्झुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 30.05.2022 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
झुन्झुनू